बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 03-11-17

संख्या–4/फार्मा–14–01/2014-1312 (4)/भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन "बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014" का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। – (1) यह नियमावली "बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–8 का प्रतिस्थापनः**–"नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेगा। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि सेवा संतोषजनक न पाई जाय किंतु नियुक्ति प्राधिकार की राय में, परिवीक्षा अवधि में विस्तार करने से व्यक्ति में सुधार की संभावना हो तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जायगी। एक वर्ष की विस्तारित अवधि में भी कार्य सेवा संतोषजनक नहीं पाई गयी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे फार्मासिस्ट की सेवा समाप्त कर सकेंगे।"

3. **बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 के परिशिष्ट–1 का प्रतिस्थापनः**– उक्त नियमावली के परिशिष्ट–1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"परिशिष्ट – 1

[नियम 2 (viii), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य]

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग का पदसोपान, अर्हताएँ, आदि

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	आवश्यक अर्हताएँ	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	फार्मासिस्ट	सीधी भर्ती द्वारा	(i) इन्टरमीडियेट/+2 उत्तीर्ण। (ii) डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट (पार्ट I, II एवं III)	सभी स्वास्थ्य केन्द्रों औषधालयों/अस्पतालों, 20 एवं 50 शय्याओं या अधिक वाले सभी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में एवं सभी चिकित्सा महाविद्यालयों

				में उत्तीर्णता। (iii) बिहार फार्मेसी काउन्सिल से रजिष्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। [टिप्पणी– बी0 फार्मा0 एवं एम0 फार्मा0 उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे।]	अस्पतालों में।
2.	प्रथम सोपान	वरीय फार्मासिस्ट	प्रोन्नति द्वारा	–	–तथैव–
3.	द्वितीय सोपान	वरीय मुख्य फर्मासिस्ट	तथैव	– –	सभी जिला अस्पतालों में। सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में।

4. **बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 के परिशिष्ट–2 का प्रतिस्थापनः–** उक्त नियमावली के परिशिष्ट–2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"परिशिष्ट – 2

[नियम 18 द्रष्टव्य]

फार्मासिस्टों के कर्तव्य एवं दायित्व

क्रमांक	पदनाम	कर्त्तव्य एवं दायित्व	पदस्थापन स्थान
1.	फार्मासिस्ट	नुस्खा (प्रेस्क्रीपशन) प्राप्त करना, नुस्खा की जाँच पड़ताल करना, परिशुद्ध औषधि बनाना, मरीज को यथोचित सलाह देना, मरीजों से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करना और अभिलेखित करना, चिकित्सा–विधिक पंजी (इन्ज्युरी एवं पोस्टमोर्टेम रजिस्टर) का अभिरक्षक।	सभी अस्पतालों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों में।
2.	वरीय फर्मासिस्ट	औषधियों एवं चिकित्सा–यंत्रों तथा भंडार का प्रबंधन, औषधियों की आपूर्ति, स्टॉक प्रबंधन। समुचित लेबल सहित दवाओं की पुनः पैकिंग/पूर्व–पैकिंग। गैर–निर्जीवाणुक विरचनाएँ। जैव– विषशून्य विरचनाएँ।	20–श्य्याओं या अधिक वाले सभी अस्पतालों और 50–शय्याओं या अधिक वाले सभी अस्पतालों में।

3.	वरीय मुख्य फर्मासिस्ट	औषधियों एवं उपकरणों की खरीद। औषधि सूचना सेवाएँ। अस्पताल तकनीकी सेवाओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण। औषधियों एवं यंत्रों की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होना। वार्ड फार्मेसी सेवाएँ। औषधियों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया का अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग। लाक्षणिक (क्लीनिकल) विशिष्टता से जुड़ी सेवाएँ । विशेषज्ञ सूचना सेवाएँ। –क्लीनिकल फार्मेसी सेवाओं का संगठन। तकनीकी सेवाएँ। निर्जीवाणुक विनिर्माण। क्लीनिकल शोध एवं विकास। औषधि–चिकित्सा प्रबंधन। औषधि–पथ्य समीक्षा। परामर्शदातृ सेवाएँ। –विभिन्न अस्पताल समितियों में सेवाएँ देना, यथा– (क) फार्मेसी ऐंड थेराप्युटिक्स कमिटी। (ख) अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति। (ग) मानव नैतिकता समिति। (घ) पशु नैतिकता समिति। (ड.) संस्थागत समीक्षा बोर्ड। (च) क्लीनिकल ट्रॉयल कमिटी। –क्लीनिकल शासन एवं जोखिम प्रबंधन। अस्पताल फार्मेसी प्रबन्धन ।– (i). स्टाफ प्रबंधन, (ii). बजट प्रबंधन (iii). बेंचमार्किंग। –सूचना–प्रावैधिक लागू करना। अस्पताल सूत्र–समूह सेवाएँ। (i). अस्पताल फार्मेसी सेवाएँ, (ii). फार्मासिस्टों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण, (iii). फार्मासिस्टों के शिक्षण कार्यक्रम का जारी रहना, (iv). जिला स्तर पर बड़े औषधि सूचना केन्द्र के संचालन की योजना बनाना एवं कार्यान्वयन –का समन्वय एवं मूल्यांकन। –केन्द्रीय मेंडिकल स्टोर डिपो का प्रबंधन करना। –औषधियों एवं यंत्रों का चयन, खरीद (प्रोक्योरमेंट) एवं वितरण –आपूर्तियों का गुणवत्ता नियंत्रण। –फार्मेकोइकोनोमिक्स अध्ययन/शोध। –फार्मासिस्टों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण मानकों का सूत्रीकरण एवं डायनामिक अद्यतनीकरण। –पूरे राज्य में अस्पताल फार्मेसी सेवाओं के समन्वित विकास एवंसुधार के लिए समुचित नीति, –योजना का सूत्रीकरण। –बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल फार्मेसी सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सुधार को प्रोन्नत –करना।	सभी जिला/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में।

		–फार्मेकोथेराप्युटिक्स, फार्मेकोइकोनोमिक्स, फार्मेकोभिजीलेन्स, फार्मेकोइंफोर्मेटिक्स का समन्वय करना। –आधुनिक औषधियों की संरक्षा एवं असर सुनिश्चित करने में विकसित विश्व के साथ गतिमान –रहने हेतु फार्मास्युटिकल रिसर्च को, इसके सभी रूपों में, बढ़ाना। –फार्मासिस्ट संवर्ग एवं फार्मेसी सेवाओं का पूर्ण नियंत्रण एवं प्रशासन।	

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सच्चिदानन्द चौधरी) 2/11/17

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 1312 (4) /पटना, दिनांक :– 03-11-17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव 2/11/17